

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

महावीर गुजर बनाम श्रीमती दामोदरी
 9/10 पत्र नं. 21 सन् 2011

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तामील
 में जारी हुए

31.01.2019

पत्रावली आज सिंगे से पेश हुई। प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता के एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दोनो पक्षो के मध्य चल रहा भुमि सम्बन्धी सदभाविक विवाद अब समाप्त हो चुका है, हम उभयपक्षो के मध्य राजीनामे से विवाद का निपटारा हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस मौजूदा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। अतः प्रकरण को इसी चरण पर ड्रॉप कराना फरमावे।

ऐसी स्थिति में इस प्रार्थनापत्र में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को प्रार्थीगण पक्ष के द्वारा नोट प्रेस किये जाने से न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 01.08.2011 को निष्प्रभावी घोषित करते हुए, इसी स्तर पर ड्रॉप किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

महावीर

कमल

2011-4-464
 me
 न्यायालय
 भीलवाड़ा
 31-1-19